संख्या–18/1/2008–का–2/2009

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2009 ।

विषय :– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2009 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपरोक्त विषय "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2009" की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या–18/1/2008–का–2/2009, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव महामहिम श्री राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश।

2–सचिवालय के समस्त अनुभाग

3–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अधिनियम कवरिंग पत्र सहित की 2000 प्रतियां मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने हेतु।

भवदीय,
अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–293

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2009

श्रावण 29, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1181/79-वि-1-09-1(क)17-2009

लखनऊ, 20 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (दो) में शब्द "अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री)" के स्थान पर शब्द "पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित)" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993) का अधिनियमन शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में शब्द "आश्रित" को परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित), तथा पौत्र या अविवाहिता पौत्री थीं। पुत्री और पौत्री के मध्य भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "आश्रित" की उक्त परिभाषा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विवाहिता पौत्री को सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

No. 1181(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka) 17-2009
Dated Lucknow, August 20, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Vikalang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhutpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2009.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT No. 20 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 16, 2009.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 4 of 1993.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b), in sub-clause (ii) *for* the words "unmarried grand daughter (daughter of a son)" the words "grand daughter (daughter of a son) (married or umarried)" shall be *substituted.*

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 7 of 2009

3-(1) The Uttar Pradesh Public services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (U.P. Act no. 4 of 1993) has been enacted to provide for the reservation of posts in favour of physically handicapped, dependants of freedom fighters and ex-servicemen. Clause (b) of section 2 of the said Act defines the word "dependant". In accordance with the said definition son and daughter (married or unmarried) and grand son and unmarried grand daughter were the dependants of a freedom fighter. In order to remove the discrimination between daughter and grand daughter it was decided to amend the said Act to include the married grand daughter of a freedom fighter in the said definition of the word "dependant".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2009 (U.P. Ordinance no. 7 of 2009) was promulgated by the Governor on June 16, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–12 सा0 नियुक्ति–15–9–2009–(1196)–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।